बूथ लेवल आफिसर ई-पत्रिका

खंड ५, मई २०२३

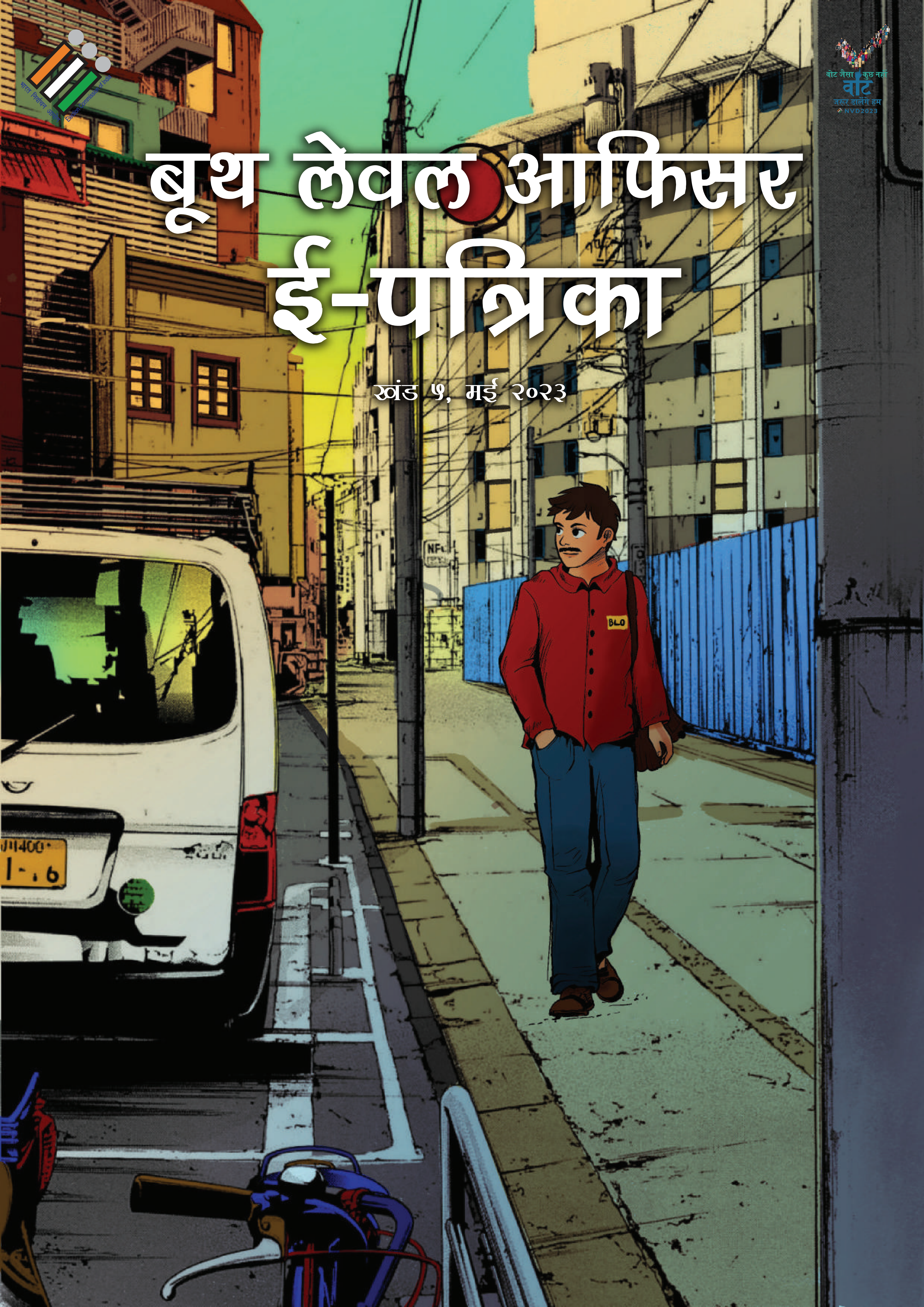

आमुख

मानानीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 14 सितंबर 2022 को द्विमासिक बीएलओ ई-पत्रिका का विमोचन किए जाने के बाद से पत्रिका के चार संस्करण सफलतापूर्वक प्रकाशित हो चुके हैं। प्रारंभ से ही, हमने अपने बूथ लेवल अधिकारियों को जागरूक बनाने, उन्हें जानकारी देने और प्रेरित करने की कोशिश की है ताकि वे अपने काम में और कुशल बन सकें।

पिछले संस्करणों में, हमने बूथ लेवल अधिकारियों की भूमिकाओं और दायित्वों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की है। साथ ही, हमने बूथ स्तर पर काम करने वाले भारतीय लोकतंत्र के 10.37 लाख बूथ लेवल अधिकारियों की संपूर्ण सेना को प्रेरित करने के लिए क्षेत्र से उनके उल्लेखनीय वृत्तांतों और उनकी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों को उनकी जुबानी प्रकाशित किया है।

अब इस संस्करण में, हमने अपने बूथ लेवल अधिकारियों को उनके मूल दायित्वों से अवगत कराने के लिए प्रस्तुत किया है। बूथ लेवल अधिकारियों को पढ़ने में यह अत्यंत मनोरंजक रुचिकर एवं सूचनाप्रद लगेगा।

हमने इस संस्करण में मतदाता पंजीकरण, निर्वाचक नामावली को त्रुटि मुक्त बनाने, दिव्यांगजनों को चिह्नित करने , एपिक-आधार संयोजन जैसे विषयों और उन संबद्ध विषयों को शामिल किया है जिनकी जानकारी बीएलओ द्वारा मतदाताओं को देनी आवश्यक रहती है।

संपादन समिति

एन.एन. बुटोलिया
वरि. प्रधान सचिव
(निर्वाचक नामावली)

अशोक कुमार
निदेशक (आई.टी.)

कुलदीप कुमार सहरावत निदेशक
(आईआईआईडीईएम-प्रशिक्षण)

एस. सुंदर राजन
निदेशक (ईवीएम)

दिपाली मासिरकर
निदेशक (निर्वाचन योजना)

संतोष अजमेरा
निदेशक (स्वीप)
सदस्य संयोजक

संपादन दल

आर.के. सिंह
समन्वयक स्वीप

अनुज चांडक
संयुक्त निदेशक (स्वीप)

नूपुर प्रवीण
कम्युनिकेशन कन्सल्टेंट

ईशा खान
ग्राफिक डिजाइनर

हिंदी अनुवाद

प्रशांत कुमार
सहा. निदे. (रा.भा)

नए मतदाता का पंजीकरण करता बीएलओ

दोनों ? छोटे बेटे की उम्र अभी कम है और जहां तक मुकेश की बात है, उसे मतदाता पंजीकरण भारी झंझट वाला काम मालूम पड़ता है और इसके लिए चुनाव कार्यालय जाने का समय किसके पास है ?
महोदया, भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में दो नए नियम लागू किए हैं। 17 साल की आयु हासिल करने वाला कोई भी व्यक्ति एनवीएसपी पोर्टल के माध्यम से फॉर्म 6 ऑनलाइन भरकर या अपने बीएलओ से फॉर्म मांगकर मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करते ही वह अपने आप मतदाता सूची में नामांकित हो जाता है।
BL
ओह! हमें इस नई सुविधा की खबर ही नहीं थी!
इसका मतलब यह हुआ कि मेरा भाई मतदाता बनने के लिए तुरंत आवेदन कर सकता है ?
बहुत खूब। लेकिन दूसरा नियम किस बारे में है, श्रीमान बीएलओ ?

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता पंजीकरण के लिए 4 नई अर्हक तिथियां शुरू की हैं। प्रत्येक वर्ष की १ जनवरी, १ अप्रैल, १ जुलाई और १ अक्तूबर मतदाता पंजीकरण के लिए चार अर्हक तिथियां होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, तो आप एक वर्ष में चार अर्हक तिथियों में से किसी एक तिथि पर मतदाता के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं।

निर्वाचक नामावली से मृत मतदाता का नाम हटाते बीएलओ

लीजिए, बीएलओ साहब, यह मेरे पास ही है। मुझे पता चला है कि मृतक का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए अब मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य हो गया है।
यह फॉर्म 7 है। यह मौजूदा निर्वाचक नामावली से नामों को शामिल करने/हटाने के प्रस्ताव पर आपत्ति व्यक्त करने के लिए है।
कृपया इसे भरें और मुझे मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ दें।
वाह मिस्टर बीएलओ! आपकी तैयारी हमेशा जबरदस्त होती है।
आह! यह आपके कारण है कि हमारा जीवन इतना सुविधाजनक है।
BLO
अविनाश फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ बीएलओ को देता है।
धन्यवाद बी ऐल ओ साहब!
काम के बीच में ब्रेक लेना न भूलें!
बिलकुल अविनाश जी! और किसी प्रकार की जानकारी के लिए बूथ पर आना ना भूलें।

निर्वाचक नामावली में नाम की वर्तनी और स्थान का विवरण ठीक करते बीएलओ

वैसे तो आप कभी भी मेरे बूथ पर आ सकते हैं अथवा मेरे द्वारा घरेलू सत्यापन के लिए आने का इंतजार कर सकते हैं। इसके अलावा एक और विकल्प है कि आप दिव्यांगजनों (पी डब्लू डी) के लिए ईसीआई द्वारा निर्मित सक्षम ऐप डाउनलोड कर लें।

बीएलओ दूसरी गलियों से गुजरते हुए उन लोगों की मदद करने का प्रयास करता है जिन्हें मतदान संबंधी किसी सहायता की आवश्यकता हो।

घरेलू सत्यापन संबंधी काम पूरा करके बीएलओ अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे!

यहाँ बीएलओ किसी भी ऐसे व्यक्ति की सहायता के लिए प्रतीक्षा करता है जिसे मतदान प्रक्रिया से संबंधित समस्याओं में सहायता की आवश्यकता होती है।

पोलिंग बूथ पर बीएलओ